



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1361 / SEIAA/2021

Date: 06.07.2021

कार्यालयीन ज्ञापन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना 2006 के पैरा 10 "(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority." के परिपालन में MP-SEIAA द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो सुलभ संदर्भ हेतु MP-SEIAA की वेबसाइट पर दर्शित है। इसी तारतम्य में सर्व संबंधितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

1. SEIAA द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 6 माह में अनुपालन प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य है जिसके संबंध में SEIAA द्वारा पूर्व में भी कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 930/SEIAA/2019 दिनांक 30.05.2019 जारी किया गया है।
2. जिले में परियोजना प्रस्तावक को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में Corporate Environmental Responsibility (CER) एवं Plantation की शर्त भी निहित की जाती है जिसके परिपालन में भी SEIAA द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 2470/SEIAA/2020 दिनांक 31.08.2020 में समुचित दिशा निर्देश दिये गये हैं।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिले के वनमण्डलाधिकारी को सूचित किया जाता है कि संबंधित जिले में MP-SEIAA एवं DEIAA द्वारा जारी की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित विशेष रूप से Corporate Environmental Responsibility (CER) एवं Plantation की शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करवाये जाने हेतु संबंधित स्थलों पर अधीनस्थ अमले के माध्यम से स्थल निरीक्षण

DR

करवाये जाने के उपरांत अनुपालन प्रतिवेदन मय छायाचित्र (स्थल के कॉर्डिनेट सहित) MP-SEIAA को प्रत्येक तीन माह में प्रकरणवार प्रेषित किया जाना है। कृपया इस संबंध में जिला स्तर पर यथोचित निर्देश प्रसारित किये जायें।

06/07/21

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1362 /SEIAA/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 06.07.2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)।
2. अध्यक्ष SEIAA एवं SEAC पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
7. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
8. सर्वसंबंधित।
की ओर सूचनार्थ।

0

सदस्य सचिव